

न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2023 / 138

दायरा तिथि : 16.08.2023

फैसला तिथि : 20-02-2024

प्रार्थी:-

हुलकी पत्नी मोहनलालजी जाति जणवा चौधरी
निवासी लालराई तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

==: आदेश ==

दिनांक 20-02-2024

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम लालराई तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खाता संख्या 453, 454, 546, 209⁴⁵⁵ में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हुली पत्नी मोहनलाल को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम हुलकी पत्नी मोहनलाल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी की प्रतियाँ पेश की गईं। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम हुली पत्नी मोहनलाल दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हुलकी पत्नी मोहनलाल शुद्ध दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करने के दौरान होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम हुली पत्नी मोहनलाल के स्थान पर हुलकी पत्नी मोहनलाल शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हुलकी पत्नी मोहनलाल शुद्ध है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी की प्रतियाँ पेश कर दी है। नामान्तरकरण के दौरान दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हुली पत्नी मोहनलाल दर्ज है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम लालराई तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खाता संख्या 453, 454, 546, 209⁴⁵⁵ में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हुली पत्नी मोहनलाल को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम हुलकी पत्नी मोहनलाल शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को प्रामाण्य भिजवाई जावे। गिसल फौरल शुमार होकर नंबर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.
(एस.डी.ओ.) बाली

दिनांक 20-02-2024

क्रमांक:-कोर्ट/2024/214-215

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाली
2. पटवारी हल्का सेसली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.
(एस.डी.ओ.) बाली